5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(12)

<u>माननीय न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी R-245-I/14

लीलाकृष्ण पिता बद्रीनारायण उपाध्याय
निवासी–नीमच केन्ट जिला नीमच
---निगरानीकर्ता

विरूद्ध

ग्राम पंचायत कनावटी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
कनावटी जिला नीमच ---रेस्पान्डेंट

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता</u>

<u>निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 184/11–12 आदेश दिनांक 30/09/2013 से असंतुष्ट व दुखी होकर प्रस्तुत है ।</u>

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 245-एक/14 **जिला नीमच**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री मिश्रीलाल चौधरी द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-09-2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत विवेचना कर अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि पंचायत सचिव ने दिनांक 20-5-2010 की स्थगित ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21-5-2010 को आयोजित कर बालकृष्ण पिता बद्रीप्रसाद के संबंध में स्थल निरीक्षण कराकर अभिमत सर्वानुमति से दिया है जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत कनावटी द्वारा दिये गये प्रस्ताव को आधार मानकर विवादित सर्वे नम्बर पर आवंटित भूखण्ड निरस्त किये गये है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	